



भारत सरकार/Government of India

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

Ministry of Finance, Department of Revenue

सीमा शुल्क (निवारक) आयुक्त का कार्यालय

Office of the Commissioner of Customs (Preventive)

110 महत्मा गांधी रोड, पूर्वोत्तर क्षेत्र, शिलांग-793001, मेघालय

110 Mahatma Gandhi Road, NER, Shillong - 793001, Meghalaya

फोन/Phone: 0364-2222597/2225325/2229005. फैक्स/Fax: 0364-2223440/2229007. ई-मेल/ E-mail: cusshg@gmail.com

आदेश

शिलांग 29 जनवरी, 2016

वनस्पति संरक्षण, संगरोध एवं संग्रह निदेशालय, कृषि विभाग, सहकारिता एवं किसान कल्याण, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डीआईपी अधिनियम, 2014 के अन्तर्गत (भारत में आयात का नियमन) आदेश 2003 के अनुसार भारत-म्यांमार सीमा पर आयात और निर्यात की सुविधा को बढ़ाने के लिए मोरे, मणिपुर में एक वनस्पति संरक्षण संगरोध स्टेशन की स्थापना की गई है।

अतः राष्ट्र की जैव सुरक्षा की रक्षा के लिए यह निर्णय लिया गया है कि मोरे भूमि सीमाशुल्क स्टेशन से आयात की जाने वाली सभी वनस्पति और वनस्पति सामग्री की खेपों का सीमाशुल्क निकासी करने से पहले इसे वनस्पति संगरोध स्टेशन, मोरे से आवश्यक परीक्षण/निरीक्षण संबंधी निकासी प्राप्त करना होगा। वनस्पति संगरोध आदेश, 2003 के अनुसूची IX के तहत वनस्पति संगरोध शुल्क भी व्यापारी वर्ग द्वारा ही प्रदान करना होगा।

बंदना देवरी
25/1/16
(बंदना देवरी)

आयुक्त

C.No. VIII(48)20/CUS/TECH/Plant Quarantine/2013/7859-64(B)

दिनांक 29.01.2016

25 FEB 2016

प्रति सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित

1. मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर, शिलांग जोन, उत्तर पूर्व शिलांग।

2. सहायक आयुक्त, सीमाशुल्क प्रभाग, इम्फाल, को इस निदेश के साथ की इससे सभी व्यापार और संबंधितों को अवगत कराया जाए।

3. अधीक्षक मोरे भूमि सीमाशुल्क स्टेशन, अनुपालनार्थ

4. अधीक्षक कंप्यूटर कक्ष, सीमाशुल्क मु.शिलांग को इसे आयुक्तालय के वेबसाइट में अपलोड करने हेतु।

5. गार्ड फाईल

श. चौधरी
(शुभदीप चौधरी)
अधीक्षक (तक)